<u>कार्यालय प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर–ललितपुर।</u>

पत्रांकः **418** / डेरी / दूध ठेका–निविदा पत्रा0 / 2023–24 / दिनाँकः **17 जून, 2023**

<u>अल्पकालीन पुनः निविदा सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर (ललितपुर) जो ललितपुर से लगभग 48कि0मी0 दूरी पर ललितपुर मड़ावरा रोड़ पर स्थित है, पर पालित हरियाना गाय(लगभग–440ली0 प्रतिदिन) एवं बकरी(लगभग 20ली0 प्रतिदिन) से उत्पादित शुद्ध एवं ताजा दूध की बिक्री अनुबंध होने की तिथि से दिनांक 31.05.2024 अथवा अगामी ठेका होने तक हेतु सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रक्रिया खुली बोली एवं टेण्डर दोनों माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। सर्वप्रथम खुली बोली करायी जायेगी, तत्पश्चात टेण्डर खोले जायेगें। केवल निविदादाता ही खुली बोली में भाग ले सकता है। **निविदा प्रपत्र दिनाँक 30.06.2023 से दिनांक 04.07.2023 के सायं 05.00बजे तक कार्यालय दिवस में प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पषुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर–ललितपुर के कार्यालय में रू0 1000.0 एवं नियमानुसार देय जी0एस0टी0 नगद जमा कर क्रय किया जा सकता है**, जो वापिस नही होगा। **सीलबन्द निविदा दिनाँक 05.07.2023 को अपरान्ह 1.00बजे तक निविदा बाक्स में डाला जा सकता है।** **<u>टेण्डर क्रय करते समय टेण्डर के साथ प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पषुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर–ललितपुर के पक्ष में देय धरोहर धनराषि रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) का एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद जमा करना होगा, जिसके बिना टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा।</u>** पूर्व में अवमुक्त किये गये एफ0डी0आर0 / डिमांन्ड ड्राफट को जमा किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है। **खुली बोली उपरान्त टेण्डर दिनांक 05.07.2023 को अपरान्ह 02.00 बजे प्रक्षेत्र कार्यालय पर मण्डलीय क्रय–विक्रय परिषद् द्वारा टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।** यदि टेण्डरदाता टेण्डर प्रक्रिया के समय उपस्थित नहीं होता है तो उसका कोई भी दावा / शिकायत मान्य नहीं होगा। निविदादाता को निविदा प्रपत्र में गाय एवं बकरी दूध के विक्रय मूल्य की दर प्रति लीटर अलग–अलग अनुबंध होने की तिथि से दिनांक 31.05.2024 अथवा अगामी ठेका होने तक हेतु डालना होगा। **<u>निविदा से पूर्व कैशियर के पास प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पषुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर–ललितपुर के पक्ष में देय रूपया 100000.00 (रूपया एक लाख मात्र) का एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट(मूलरुप में) अथवा नगद रुप में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अथवा बैंक द्वारा निर्गत एक लाख का बैंक क्रेडिट लिमिट प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।</u>** खुली बोली अथवा निविदा में जो भी विक्रय मूल्य अधिक होगा वही दर मान्य होगी। अन्तिम स्वीकृति उपनिदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उ0प्र0लखनऊ द्वारा प्रदान की जायेगी। सफल टेण्डरदाता / ठेकेदार को डेयरी से अपने बर्तनों में एवं अपने संसाधन से प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल दुहान की समाप्ति के आधा घंटे के अन्दर स्टाफ / विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को वितरण के पश्चात् दोनों समय जितना भी दूध बचेगा उसे उठाना होगा। इस संबंध में ठेकदार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी। यदि ठेकेदार उपलब्ध दूध को नही उठाता है तो दूध के निस्तारण में जो व्यय होगा उसे ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धनराशि से काट लिया जायेगा। साप्ताहिक दूध का मूल्य जमा करना होगा। निविदादाता / ठेकेदार को ठेका स्वीकृति होने के पश्चात् तीन दिन के अंदर **<u>रु0 100000.0(रु0 एक लाख) जमानत के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का उपनिदेषक (प्रक्षेत्र), पषुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के नाम प्राधि एफ0डी0आर0 तथा 10दिन के दूध के मूल्य की धनराशि प्रक्षेत्र प्रबंधक, राजकीय पषुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर–ललितपुर के नाम प्राधि एफ0डी0आर0 के रुप में कार्यालय में जमा करना होगा।</u>** रु0 200.0 के जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर शर्तमाना / अनुबंध भरना होगा। बिना अनुबंध संबंधी औपचाारिकता पूर्ण किये दूध नही दिया जायेगा। यदि कोई टेन्डरदाता / ठेकेदार अपनी दर से मुकरता है तो उसके द्वारा जमा जमानत धनराशि राजकीय हित में जब्त कर केवल द्वितीय अधिकतम बोलीदाता / निविदादाता से आवश्यकता पड़ने पर प्रथम अधिकतम दरदाता की दर के आधार पर निगोशियेशन की कार्यवाही करते हुए निर्णय क्रय–विक्रय परिषद् द्वारा लिया जायेगा। मण्डलीय क्रय विक्रय परिषद् को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त टेण्डरों को निरस्त कर सकता है। चालू वर्ष के दूध ठेके से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही जब तक पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक विगत वर्ष के दूध ठेकेदार को विगत वर्ष की दर पर ही दूध उठाना होगा। सशर्त टेण्डर मान्य नही होगा। किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र ललितपुर होगा। प्रत्येक फर्म से 01ही व्यापारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि प्रतिभाग करेगा। रू0 10.00के स्टाम्प पेपर पर प्रतिनिधि नामित किये जाने का प्राधिकार पत्र एवं नामित व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के समय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। जिन ठेकेदारों की साख पूर्व में खराब रही है, उसे टेण्डर फार्म नही दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की राशि ठेका संतोषजनक समाप्त होने के 06माह पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

<u>विस्तृत जानकारी मो0नं0–9838966066 पर प्राप्त की जा सकती है।</u>

(डा0कमल कुमार वर्मा)
प्रक्षेत्र प्रबन्धक